

2014 का विधेयक संख्यांक 95

[दि रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

निरसन और संशोधन विधेयक, 2014

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने और कतिपय
अन्य अधिनियमितियों का संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित
हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निरसन और संशोधन अधिनियम, 2014 है ।
2. पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को, उसके चौथे स्तंभ में वर्णित सीमा तक निरसित किया जाता है ।
3. दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को, उसके चौथे स्तंभ में वर्णित सीमा तक और रीति में संशोधित किया जाता है ।

संक्षिप्त नाम ।

कतिपय
अधिनियमितियों
का निरसन ।

कतिपय
अधिनियमितियों
का संशोधन ।

व्यावृत्तियां ।

4. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से ऐसे किसी अधिनियम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसमें ऐसे अधिनियमिति को लागू किया गया है, समाविष्ट किया गया है या उसके प्रति निर्देश किया गया है ;

और इस अधिनियम से पहले से की गई किसी बात की या सहन किए गए कार्यों की या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा किसी उपचार या उसके संबंध में कार्यवाही अथवा किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के किसी निर्मोचन या उससे उन्मोचन अथवा पहले से दिए गए किसी संरक्षण या किसी पूर्व कार्रवाई या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

और इस अधिनियम का विधि के किसी सिद्धांत या नियम अथवा स्थापित अधिकारिता, अभिवाक्, पद्धति या प्रक्रिया के प्ररूप या अनुक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह क्रमशः इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी भी रीति में अभिपुष्ट, मान्यताप्राप्त या व्युत्पन्न हुआ है ;

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या किसी अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, उपबंध या प्रत्यावर्तन नहीं होगा ।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

निरसन

वर्ष	सं.	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)
1897	4	भारतीय मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1897	संपूर्ण
1947	47	विदेशी अधिकारिता अधिनियम, 1947	संपूर्ण
1978	49	चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978	संपूर्ण
1993	46	सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993	संपूर्ण
1999	30	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1999	संपूर्ण
1999	33	भारतीय वयस्कता (संशोधन) अधिनियम, 1999	संपूर्ण
1999	34	महाप्रशासक (संशोधन) अधिनियम, 1999	संपूर्ण
1999	36	नोटेरी (संशोधन) अधिनियम, 1999	संपूर्ण
1999	39	विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1999	संपूर्ण
2001	30	निरसन और संशोधन अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2001	49	विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001	संपूर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2001	51	विवाह विच्छेद (संशोधन) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2002	26	भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	37	विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	72	लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2003	3	संपत्ति अंतरण (संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2003	4	भारतीय साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2003	6	लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2003	9	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2003	24	निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	40	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	46	निर्वाचन और अन्य सहबद्ध विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	50	विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2004	2	लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2004	3	परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2005	4	प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2005	39	हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2006	31	संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2008	9	परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2008	10	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2009	41	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2010	30	स्वीय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	36	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2012	29	आनंद विवाह (संशोधन) अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2012	33	महाप्रशासक (संशोधन) अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2013	28	संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2013	संपूर्ण

दूसरी अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

संशोधन

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
2013	25	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013	धारा 1 की उपधारा (3) के परन्तुक में, "अधिसूचना" शब्द के स्थान पर "उक्त अधिसूचना" शब्द रखे जाएंगे।
2014	17	सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011	(क) अधिसूचना में, "बासठवें वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पैंसठवें वर्ष" शब्द रखे जाएंगे। (ख) धारा 1 की उपधारा (1) में "2011" अंकों के स्थान पर "2014" अंक रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक उपाय है जिसके द्वारा उन अधिनियमितियों को, जो प्रवृत्त नहीं रह गई हैं या जो निरर्थक हो गई हैं या जिनको पृथक् अधिनियमों के रूप में बनाए रखना अनावश्यक है, निरसित किया जाता है अथवा जिसके द्वारा अधिनियमों में पाई गई प्ररूपिक त्रुटियों को सुधारा जाता है ।

2. विधेयक की उन ऐसी मदों में, जिनके संबंध में कुछ विस्तृत स्पष्टीकरण आवश्यक है, सुझाए गए संशोधनों के कारणों को इसके पश्चात् दिए गए टिप्पण में स्पष्ट किया गया है ।

3. विधेयक के खंड 4 में एक ऐसा पूर्वावधानी उपबंध अन्तर्विष्ट है जो इस प्रकार के विधेयक में सामान्यतया सम्मिलित किया जाता है ।

नई दिल्ली;
6 अगस्त, 2014

रवि शंकर प्रसाद

दूसरी अनुसूची के संबंध में टिप्पण

1. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013-अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन अधिनियम के अधिनियमन के समय अनवधानता से हो गई भूल को सुधारने के लिए ईप्सित है ।

2. सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 - अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन प्रत्यक्ष गलती को सुधाने के लिए ईप्सित है ।

उपाबंध

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका
पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 25)
से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) * * * * *

परन्तु इस प्रकार अधिसूचित तारीख, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात्, साठ दिन से पूर्व की नहीं होगी ।

* * * * *

सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक
17) से उद्धरण

* * * * *

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 है ।

* * * * *

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ ।